

26-07-21

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट द्वारा डि० 20.06.18 को अपीलान्ट - 2 की फौज की सूचना स्वयं द्वारा दी गई परन्तु अपी. - 2 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की। इसके उपरान्त कई अवसर दिये गये तथा आज भी वारिसान को रिकार्ड पर लाने की कार्यवाही करने में असमर्थता जताई। अतः पत्रावली अदम तकमील में श्वारिज की जाती है। पत्रा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की आवे। बाद जाफा कारवील दफतर हो। १६